राजस्व निदेशालय एवं अन्य

बनाम

मोहम्मद निसार होलिया

5 दिसंबर, 2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपितगण ]

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985,धाराएं 8(ग), 22,29,42,43,66 और 67:

स्वापक औषधि -का कब्जा- की तलाशी और जब्ती- आवश्यकता - अभिनिर्धारितः तलाशी और जब्ती करने की शक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि पर आधारित और उसके अध्यधीन है- धारा 165 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत, अभियुक्त को तलाशी और जब्ती के संबंध में वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए -एक प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति की एकांतता के अधिकार का उल्लंघन करने की अबाध शक्ति नहीं दी जा सकती- अदालत को देखना होगा कि ऐसे अधिकार का अनावश्यक रूप से उल्लंघन नहीं किया जाये- विधि इसे आज्ञापक बनाती है कि अभियोजन पक्ष को प्रावधानों का अनुपालन साबित करना होगा -किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति में, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है- इस मामले में, वैधानिक आवश्यकताओ का पालन नहीं किया गया - प्राधिकारी

द्वारा प्राप्त सूचना, एक फैक्स संदेश, अपठनीय थी, इसलिए, अधिनियम की धारा 67 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थीं-फैक्स की ज़ेरोक्स प्रति, जैसी कि प्रस्तुत की गई, अधिनियम की धारा  66 के अनुसार साबित नहीं हुई-इसके अलावा, एक अन्य द्वितीयक साक्ष्य को साबित करने के लिए कोई द्वितीयक साक्ष्य नहीं दी जा सकती-इसप्रकार अभियुक्त को दोषिसद्ध करने के विचारण न्यायालय के निर्णय को अधिनियम की 42 के अननुपालन के आधार पर उलटने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय किसी भी विधिक कमज़ोरी से ग्रस्त नहीं है - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 165 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 -साक्ष्य - द्वितीयक साक्ष्य - कानूनों का निर्वचन।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम - इसके दायरे पर चर्चा की गई।

तलाशी और जब्ती - एकांतता का अधिकार - का संरक्षण- पर चर्चा की गई।

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 21:

स्वापक औषधि - का कब्ज़ा - 1905 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21के अधीन उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में तलाशी और जब्ती - अभिनिर्धारितः कानून के तहत एक कठोर प्रावधान कठोर सजा का कारण बन सकता है - इसलिए, उत्पीड़न और अन्याय से नागरिक का संरक्षण अपरिहार्य है- इसलिए कानून की आवश्यकता और प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है -

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1905, धारा 42 - कानूनों का निर्वचन।

एक सूचना - एक फैक्स संदेश- प्राप्त होने पर, कि मुंबई के एक होटल में रह रहे एक व्यक्ति के कब्जे में, दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए मैंड्रेक्स की गोलियां थीं, राजस्व निदेशालय और आसूचना के अधिकारियों की एक टीम होटल गई और संदिग्ध की तलाशी ली। रुपये 4,25,000/- की राशि नकद और औषधि की खेप को दिखाने वाली दिल्ली से वाहक की रसीद की फैक्स प्रति होटल के कमरे में पाए गए। धारा 67 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुसार अभियुक्त का बयान भी लेखबद्ध किया गया। बाद में रसीद में दिए गए विवरण के अनुसार खेप पहुंच गई। अभियुक्त-प्रत्यर्थी फैक्स संदेश की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 66 के तहत प्रावधानों पर निर्भर करते हुए प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 8 (सी), 22 और 29 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर रु. 1,00,000/- का जुर्माना भी लगाया। अपील किए जाने पर, विचारण न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उलट दिया था कि अधिनियम की धारा 42 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

राजस्व ने तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम की धारा 43 के अर्थान्तर्गत एक होटल एक सार्वजनिक स्थान है, प्राधिकारी के लिए उसकी धारा 42 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक नहीं था ।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1.1. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एक दाण्डिक कानून है। यह काफी हद तक आरोपी के अधिकारों पर हमला करता है। यह एक दोषी मानसिक स्थिति की उपधारणा करता है। आमतौर पर, अधिनियम की धारा 37 को देखते हुए किसी आरोपी को भी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अपराधियों के नाम, पता और व्यवसाय आदि प्रकाशित करने की शक्ति है। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज़ ग्राह्य हो जाता है। अधिनियम की धारा 67 के कारण प्राधिकारियों को सूचना मांगने की एक विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है। [ पैरा 9]

1.2. तलाशी और जब्ती करने के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति अधिकारी की संतुष्टि पर आधारित और उसके अध्यधीन है क्योंकि "विश्वास करने का कारण" शब्दों का उपयोग किया गया है।ऐसा विश्वास गुप्त जानकारी पर आधारित हो सकता है जिसे मुखबिर द्वारा मौखिक रूप से बताया जा सकता है। कठोर प्रावधान, जिसके लिए कठोर सजा हो सकती है, भारत के

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए 'उचित प्रक्रिया' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, एक ओर कानून की आवश्यकता और उसके प्रवर्तन और दूसरी ओर नागरिक के अत्याचार और अन्याय से संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की अपेक्षा करते हैं। [ पैरा 11]

1.3. इस न्यायालय ने *पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह* के प्रकरण में इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया कि तलाशी और जब्ती के मामले में न केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधान आकर्षित होंगे, अपितु इसमें वैधानिक प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा के बारे में सूचित किए जाने के आरोपी के अधिकार का भी पालन करना चाहिए।[ पैरा 12]

*पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह* ए.आई. आर.(1994) एस. सी. 1872 पर भरोसा किया।

*मिरांडा बनाम एरिजोना,* (1966) 384 यू. एस. 436, संदर्भित।

2.1. धारा 43, अधिनियम को सरल रूप से पढ़ने पर, इसकी धारा 42 की कठोरता को आकर्षित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि प्राधिकारी की ओर से व्यक्तिपरक संतुष्टि भी, जैसा कि धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक है, का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसलिए कि जिस स्थान पर तलाशी की जानी है वह एक सार्वजनिक स्थान है। यदि धारा 43 को धारा 42 के अपवाद के रूप में

माना जाना है, तो इसका सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक है। ऐसी व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए जो कानून के प्रवर्तन और आरोपी के मूल्यवान मानव अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखती है। इस आशय की घोषणा, कि न्यूनतम आवश्यकता, अर्थात्, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 का अनुपालन उद्देश्य की पूर्ति करेगा, पर्याप्त नहीं हो सकती है क्योंकि उक्त प्रावधान का अनुपालन न करने से तलाशी शून्य नहीं हो जाएगी। इसके लिए पूर्व सूचना के आधार पर की गई तलाशी और ऐसा मामला जहां प्राधिकारी को अधिनियम के तहत अपराध होने का मामला अकस्मात या संयोग से मिलता है, के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [ पैरा 14]

2.2. यह तथ्य कि अधिनियम में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच और निजी स्थान और सार्वजनिक स्थान पर की जाने वाली तलाशी के संबंध में उठाए जाने वाले भिन्न भिन्न उपाय प्रस्तावित करता है, कुछ महत्व रखता है। किसी प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की निर्बाध शक्ति नहीं दी जा सकती। यहां तक कि यदि कोई क़ानून किसी प्राधिकारी को सभी घंटों और सभी स्थानों पर किसी व्यक्ति की तलाशी और जब्ती करने की शक्ति प्रदान करता है, तब तक इसे *अधिकारातीत* माना जा सकता है जब तक कि लगाए गए प्रतिबंध उचित न हों। उचित प्रतिबंध क्या होंगे यह क़ानून की प्रकृति और संरक्षित किए जाने वाले अधिकार के विस्तार पर निर्भर

करेगा। हालाँकि तलाशी और जब्ती करने की वैधानिक शक्ति अपने आप में एकांतता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है, लेकिन इस प्रकृति के मामले में, अदालत कम से कम यह तो  देख सकती है कि ऐसे अधिकार का अनावश्यक रूप से उल्लंघन न हो। एकांतता का अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है न कि स्थानों से। [पैरा 14]

2.3. एक व्यक्ति, यदि वह कानून नहीं तोड़ता है तो वह अपने जीवन और स्वतंत्रता का आनंद लेने का हकदार होगा जिसमें परेशान न किए जाने का अधिकार भी शामिल होगा। अकेले रहने का अधिकार एक ऐसा अधिकार माना जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। [ पैरा 15]

*शारदा बनाम धर्मपाल*, [2003] 4 एस. सी. सी. 493 और *जिला पंजीयक एवं कलेक्टर, हैदराबाद और अन्य बनाम केनरा बैंक और अन्य*, [ 2005 ] 1 एससीसी 496 को संदर्भित किया गया।

2.4. इस न्यायालय ने असंख्य बार तलाशी लेने से पहले कारणों को लेखबद्ध किए जाने पर, इस आधार पर बहुत जोर दिया है कि वही सबसे पहला संस्करण होगा जो विधि के न्यायालय को और अपने अभियोजन का बचाव करते समय अभियुक्त को उपलब्ध होगा। अधिनियम के अध्याय IV में निहित प्रावधान संबंधित प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण प्रदान करने वाली धाराओं का एक समूह है, जो अन्यथा मनमाने

ढंग से या अंधाधुंध प्रयुक्त की जातीं। क़ानून कहता है कि अभियोजन पक्ष को उक्त प्रावधानों का अनुपालन साबित करना होगा। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करने का हकदार होगा कि प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था। उक्त उद्देश्य के लिए, हमारी राय है कि किसी व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान और होटल के कमरे के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। [पैरा 17]

2.5. थर्मल इमेजिंग नामक एक परिष्कृत संवेदना वर्धक तकनीक का उपयोग करना, जिसे किसी व्यक्ति के आवासीय घर के बाहर यह पता लगाने के लिए रखा गया कि रहवासी ने कोई स्वापक पदार्थ रखा है या नहीं, संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के एकांतता के अधिकार का उल्लंघन होना अभिनिर्धारित किया गया।[ पैरा 18]

*डैनी ली काइलो बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका* [533 यू.एस.27,121 S.Ct.2038,150 L.Ed.2d 9, 4, को संदर्भित किया गया ।

3.1. वर्तमान मामले में, वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी, उसने इसे लेखबद्ध नहीं किया था। जिस अधिकारी को ऐसी सूचना प्राप्त होती है, वह इसे लेखबद्ध करने के लिए बाध्य होता है, न कि उस व्यक्ति के लिए जो इसके बारे में सुनता है। इसके अलावा, इस मामले में फैक्स और

चालान की प्रति को साबित करने के अलावा और कुछ भी साबित नहीं हुआ है। फैक्स पढ़ने योग्य नहीं था। [ पैरा 19]

3.2 विशिष्टियों के अभाव में, फैक्स अपठनीय होने और इसकी अन्तर्वस्तु ज्ञात नहीं होने पर, अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में इसके ग्राह्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त फैक्स की ज़ेरॉक्स प्रति को पद के सही अर्थों में सिद्ध नहीं किया गया था। किसी अन्य द्वितीयक साक्ष्य को साबित करने के लिए किसी भी द्वितीयक साक्ष्य का सहारा नहीं लिया जा सकता था। दस्तावेज़ की अन्तर्वस्तु को साबित करना आवश्यक है। किसी दस्तावेज़ की अन्तर्वस्तु को धारा 66 के अनुसार तभी साबित माना जा सकता है जब अन्तर्वस्तु समझने योग्य हो, अन्यथा नहीं। [ पैरा 19]

*आर. वी. एफ. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुल्मिगु विश्वेसरस्वामी और वी. पी. मंदिर* जे. टी. (2005) 11 एससी 574; *नारायणस्वामी रविशंकर बनाम सहायक निदेशक राजस्व खूफिया निदेशालय*, [2002] 8 एससीसी 7; *अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य*, [2000] 2 एस. सी. सी. 513; *पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम बाबू चक्रवर्ती*, जे. टी. (2004) 7 एससी 216 और *हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह और अन्य*, [ 2004 ] 5 एससीसी 188, को संदर्भित किया गया।

*भारत संघ बनाम मेजर सिंह और अन्य,* [ 2006 ] 9 एस. सी. सी. 170 अप्रयोज्य ठहराया गया।

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता : दाण्डिक अपील संख्या 311/ 2002

बम्बई उच्च न्यायालय के 1999 की आपराधिक अपील संख्या 462 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19/20.12.2002 से

अशोक भान, अजय शर्मा और बी. कृष्ण प्रसाद - अपीलार्थियों की ओर से

हरिंदर मोहन सिंह, कौशल यादव, प्रवीण कुमार सिंह और रणवीर यादव - प्रत्यर्थी के लिए

न्यायाधिपति एस बी सिन्हा, द्वारा न्यायालय का निर्णय अभिनिर्धारित किया गया -

1. इस अपील में,जो राजस्व निदेशालय द्वारा उत्तरदाता के विरुद्ध, बंबई उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 1999 की आपराधिक अपील संख्या 462 में 19 और 20 दिसंबर, 2000 को पारित एक निर्णय और आदेश से व्यथित होकर व उसके खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत मुंबई में एक विशेष न्यायाधीश द्वारा 1997 के एनडीपीएस स्पेशल केस नंबर 221 में पारित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय को उलट दिया गया, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(एनडीपीएस एक्ट) की धारा 42 और 43 के प्रावधानों का हमारे द्वारा निर्वचन अपेक्षित है।

2.अपीलकर्ता के कार्यालय में 23.1.1997 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल कल्पना पैलेस, ग्रांट रोड, मुंबई में कमरा नंबर 305 या 306 में रहने वाले एक व्यक्ति के पास कंसाइनमेंट नोट की एक फैक्स प्रति थी जिसके तहत मैंड्रेक्स गोलियाँ दिल्ली से मुंबई ले जायी जा रही थी। उक्त जानकारी पीडब्लू-1 परमार को दे दी गई। उसने उसे लेखबद्ध कर लिया। उसने बदले में लेखबद्ध करके कथित तौर पर सहायक निदेशक, अतुल दीक्षित, सहायक निदेशक की सलाह के अनुसार वरिष्ठ खुफिया अधिकारी (पीडब्लू-10) एडी पाटेकर के समक्ष पहुंचा दिया। पीडब्लू-1 ने दो अन्य अधिकारियों, धानी और पेटकर के साथ उक्त होटल का दौरा किया। उन्हें पता चला कि आरोपी कमरा नंबर 306 में रह रहा है. उक्त होटल के दो कर्मचारियों को पंच गवाह बनने को कहा गया। उक्त कमरे का दरवाजा खटखटाया गया; अपीलार्थी ने इसे खोला। कथित तौर पर उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था। उन्होंने पहले विकल्प को चुना। उक्त अधिकारियों द्वारा उसकी तलाशी ली गयी. उक्त कमरे में 4,25,000/- रुपये नकद और दवा की खेप दिखाने वाली दिल्ली से ग्रीन कैरियर्स की रसीद की एक फैक्स प्रति मिली। उक्त फैक्स संदेश की एक जेरॉक्स कॉपी अपने पास रख ली गई।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त का बयान भी अधिनियम की धारा 67 के अनुसार दर्ज किया गया था। कुछ ही दिनों में उक्त रसीद के अनुसार खेप आ गई। यहां प्रत्यर्थी को 27 जनवरी, 1997 को , अन्य बातों के अलावा, उक्त फैक्स संदेश, जिसे प्रदर्श -8 के रूप में चिह्नित किया गया था और उसकी कथित ज़ेरॉक्स कॉपी जिसे प्रदर्श-8 ए के रूप में चिह्नित किया गया था, की बरामदगी पर विश्वास करते हुए या के आधार पर, गिरफ्तार किया गया था।

4. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों पर निर्भर करते हुए प्रत्यर्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 22 और 29 के तहत अपराध कारित करने का दोषी ठहराया। उसे सज़ा की अवधि पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उस पर न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा और 1,00,000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया।

5. दोषसिद्धि और सजा के उक्त फैसले के खिलाफ अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने, अन्य प्रश्न पर जाए बिना, राय दी कि चूंकि अधिनियम की धारा 42 की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता था, यह कहते हुए:

"जैसा कि पहले संप्रेक्षित किया गया था, हालांकि ऐसा लगता है कि सूचना डीआरआई के कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई थी, इसे प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा लेखबद्ध नहीं किया गया था, बल्कि पीडब्लू-1, परमार द्वारा किया गया था, जिसे बाद में कार्यालय द्वारा संदेश दिया गया था। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 42(1) का कोई अनुपालन नहीं हुआ।"

6. उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में मुख्य रूप से पंजाब राज्य बनाम बलबीरसिंह एआइआर (1994) एससी 1872, करनैलसिंह बनाम राजस्थान राज्य (2000) 7 एससीसी 632 तथा अब्दुल रशीद इब्राहीम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य (2000) एआइआर एससीडब्ल्यु 375 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जहां धारा 42 के प्रावधानों को आज्ञापक प्रकृति का अभिनिर्धारित किया गया था।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अशोक भान ने इस अपील के समर्थन में अन्य बातों के अलावा, यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि अधिनियम की धारा 43 के अर्थ के तहत होटल एक सार्वजनिक स्थान है, इसलिए अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था।

8. हालाँकि, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र श्री हरिंदर मोहन सिंह ने फैसले का समर्थन किया है।

9. एनडीपीएस अधिनियम एक दंडात्मक क़ानून है। यह काफी हद तक आरोपी के अधिकारों पर हमला करता है। यह एक दोषी मानसिक स्थिति की उपधारणा करता है। आमतौर पर, अधिनियम की धारा 37 को देखते हुए किसी आरोपी को भी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अपराधियों के नाम, पता और व्यवसाय आदि प्रकाशित करने की शक्ति है। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज़ ग्राह्य हो जाता है। अधिनियम की धारा 67 के कारण प्राधिकारियों को सूचना मांगने की एक विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है।

10. उक्त अधिनियम के तहत प्रदान की गई तलाशी और जब्ती की शक्ति के संबंध में व्याख्या और/या वैधता *बलबीर सिंह* के मामले (उपर्युक्त) में विचार के लिए आई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> "11. इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41, 42, 43 और 51 और सीआरपीसी की धारा 41, 42 और 43 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 4 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी और तलाशी पर सीआरपीसी के प्रावधान अर्थात् धारा 100 और 165 लागू होंगी। नतीजतन, गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में अनियमितताओं और अवैधताओं के संबंध में विभिन्न अदालतों द्वारा निर्धारित सिद्धांत, जो ऊपर

विवेचित किये गये हैं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और तलाशी पर भी समान रूप से लागू होंगे।

12. लेकिन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत कुछ अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। केवल धारा 41 के तहत इसप्रकार सशक्त मजिस्ट्रेट ही गिरफ्तारी और तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है, इत्यादि जैसा कि उसमें उल्लिखित है। उप-धारा (2) के तहत केवल एक राजपत्रित अधिकारी या उसमें उल्लिखित और सशक्त अन्य अधिकारी ही अपने अधीनस्थ को गिरफ्तारी और तलाशी का प्राधिकार दे सकते हैं यदि ऐसे अधिकारी के पास किसी अपराध के घटित होने के बारे में विश्वास करने का कारण है और सूचना, यदि कोई हो, को लेखबद्ध करने के बाद। धारा 42 के तहत केवल उसमें उल्लिखित और सशक्त अधिकारी ही गिरफ्तारी या तलाशी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास व्यक्तिगत ज्ञान या सूचना पर विश्वास करने का कारण हो। इन दोनों प्रावधानों में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। एक

> यह है कि मजिस्ट्रेट या उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सबसे पहले सशक्त बनाया जाए और उनके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या प्रावधान में उल्लिखित अन्य उद्देश्यों के लिए ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी आवश्यक थी। जहां तक पहली आवश्यकता का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि विधायिका  का इरादा है कि केवल कुछ मजिस्ट्रेट और उच्च रैंक के और सशक्त किये गये कुछ अधिकारी ही गिरफ्तारी या तलाशी को प्रभावित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। यह एक सुरक्षा उपाय है जो प्रस्तावित निवारक दण्डों को ध्यान में रखते हुए और इस दृष्टि से प्रदान किया जाता है कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाए। इसलिए यदि एनडीपीएस अधिनियम के इन प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी या तलाशी की जानी है, तो यह केवल सक्षम और सशक्त मजिस्ट्रेट या इसमें उल्लिखित अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है।"

11. तलाशी और जब्ती करने के साथ-साथ किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति अधिकारी की संतुष्टि पर आधारित और उसके अध्यधीन है क्योंकि "विश्वास करने का कारण" शब्दों का उपयोग किया गया है। ऐसा विश्वास गुप्त जानकारी पर आधारित हो सकता है जिसे

मुखबिर द्वारा मौखिक रूप से बताया जा सकता है। कठोर प्रावधान, जिसके लिए कठोर सजा हो सकती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए 'उचित प्रक्रिया' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, एक ओर कानून की आवश्यकता और उसके प्रवर्तन और दूसरी ओर नागरिक के अत्याचार और अन्याय से संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की अपेक्षा करते हैं।

12. *बलबीर सिंह* (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने *मिरांडा बनाम एरिजोना* (1966) 384 यूएस 436 का जिक्र करते हुए अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया कि तलाशी और जब्ती के मामले में न केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधान आकर्षित होंगे, अपितु इसमें वैधानिक प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा के बारे में सूचित किए जाने के आरोपी के अधिकार का भी पालन करना चाहिए।

13. धारा 42 की अपेक्षाओ को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 में पढ़ा गया। हालाँकि, बाद में कुछ अलग दृष्टिकोण अपनाया गया। निर्णयों में यह राय दी गई कि सार्वजनिक स्थान या किसी चलते वाहन में तलाशी और जब्ती करने पर धारा 42 की उपधारा (1) से जुड़े प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह भी निर्णय दिये गये कि ऐसे मामले में धारा 42 की उपधारा (2) का भी पालन करना आवश्यक नहीं है।

14. धारा 43, अधिनियम को सरल रूप से पढ़ने पर, इसकी धारा 42 की कठोरता को आकर्षित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि प्राधिकारी की ओर से व्यक्तिपरक संतुष्टि भी, जैसा कि धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक है, का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसलिए कि जिस स्थान पर तलाशी की जानी है वह एक सार्वजनिक स्थान है। यदि धारा 43 को धारा 42 के अपवाद के रूप में माना जाना है, तो इसका सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक है। ऐसी व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए जो कानून के प्रवर्तन और आरोपी के मूल्यवान मानव अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखती है। इस आशय की घोषणा, कि न्यूनतम आवश्यकता, अर्थात्, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 का अनुपालन उद्देश्य की पूर्ति करेगा, पर्याप्त नहीं हो सकती है क्योंकि उक्त प्रावधान का अनुपालन न करने से तलाशी शून्य नहीं हो जाएगी। इसके लिए पूर्व सूचना के आधार पर की गई तलाशी और ऐसा मामला जहां प्राधिकारी को अधिनियम के तहत अपराध होने का मामला अकस्मात या संयोग से मिलता है, में अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह मानना भी संभव है कि ऐसे मामले में कानून की कठोरता का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है जहां तलाशी और जब्ती करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, यदि इसके सख्त अनुपालन पर जोर दिया जाता है। यह तर्क देना भी संभव है कि जहां किसी सार्वजनिक स्थान पर तलाशी की आवश्यकता होती है जो आम जनता के लिए खुला है, धारा 42 का

कोई उपयोग नहीं होगा, लेकिन यह तर्क देना एक और बात हो सकती है कि तलाशी पूर्व सूचना पर की जा रही है और सूचना को लेखबद्ध करने, वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देने और उसकी अनुमति प्राप्त करने के साथ-साथ, इस तथ्य के साथ कारण दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय होगा कि जिस स्थान की तलाशी की जानी आवश्यक है वह हालांकि सार्वजनिक स्थान पर स्थित है, जनता के लिए खुला नहीं है, उदाहरण के लिए, किसी होटल का कमरा, जबकि होटल एक सार्वजनिक स्थान है, किसी अतिथि के अधिभोग में एक कमरा सार्वजनिक स्थान नहीं भी हो सकता है। वह अपनी एकांतता के अधिकार का हकदार है। कोई भी, यहां तक कि होटल का स्टाफ भी, उसकी अनुमति के बिना उसके कमरे में नहीं जा सकता। कमरे के रखरखाव और/या हाउसकीपिंग के संबंध में सामान्य गतिविधियों के अधीन, अतिथि अपनी एकांतता बनाए रखने का हकदार है। यह तथ्य कि अधिनियम में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच और निजी स्थान और सार्वजनिक स्थान पर की जाने वाली तलाशी के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न उपाय प्रस्तावित करता है, कुछ महत्व रखता है। किसी प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की निर्बाध शक्ति नहीं दी जा सकती। यहां तक कि यदि कोई क़ानून किसी प्राधिकारी को सभी घंटों और सभी स्थानों पर किसी व्यक्ति की तलाशी और जब्ती करने की शक्ति प्रदान करता है, तब तक इसे *अधिकारातीत* माना जा सकता है जब तक कि लगाए गए प्रतिबंध उचित

न हों। उचित प्रतिबंध क्या होंगे यह क़ानून की प्रकृति और संरक्षित किए जाने वाले अधिकार के विस्तार पर निर्भर करेगा। हालाँकि तलाशी और जब्ती करने की वैधानिक शक्ति अपने आप में एकांतता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है, लेकिन इस प्रकृति के मामले में, अदालत कम से कम यह तो देख सकती है कि ऐसे अधिकार का अनावश्यक रूप से उल्लंघन न हो। एकांतता का अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है न कि स्थानों से।

15. एक व्यक्ति, यदि वह कानून नहीं तोड़ता है तो वह अपने जीवन और स्वतंत्रता का आनंद लेने का हकदार होगा जिसमें परेशान न किए जाने का अधिकार भी शामिल होगा। अकेले रहने का अधिकार एक ऐसा अधिकार माना जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इस न्यायालय ने *शारदा बनाम धर्मपाल (2003) 4 एससीसी 493* में कुछ हद तक एकांतता के अधिकार के संबंध में चर्चा की। यह प्रश्न *जिला पंजीयक एवं कलेक्टर, हैदराबाद एवं अन्य बनाम केनरा बैंक एवं अन्य (2005) 1 एससीसी 496* में विचार हेतु आया जिसमें आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा यथासंशोधित स्टाम्प अधिनियम की धारा 73 के प्रावधानों को यह अभिनिर्धारित करते हुए रद्द कर दिया गया था:

> "एक बार जब हमने *गोबिंद* और बाद के मामलों में स्वीकार कर लिया कि एकांतता का अधिकार "व्यक्तियों न कि

> स्थानों" से संबंधित है, तो ग्राहक के दस्तावेज या दस्तावेजों की प्रतियां जो बैंक में हैं, उन्हें गोपनीय रहना चाहिए, भले ही वे अब ग्राहक के घर पर न हों और स्वेच्छा से किसी बैंक में भेजे गए हों। यदि यह कानून का सही दृष्टिकोण है, तो हम *मिलर* 30 की पंक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसमें न्यायालय इस आधार पर अग्रसर हुआ कि एकांतता का अधिकार "संपत्ति" के अधिकार के सिद्धांत के संदर्भ में है। एक बार जब ऐसा है, तब, जब तक कलेक्टर के समक्ष इस राय पर पहुंचने के लिए कोई संभावित या उचित कारण या उचित आधार या सामग्री न हो कि बैंक के कब्जे में मौजूद दस्तावेज़ किसी कर्तव्य को सुरक्षित करने या किसी कर्तव्य के संबंध में कोई भी धोखाधड़ी या चूक को साबित करने या प्रकट करने की ओर ले जाने के लिए हैं, तलाशी लेना या उसके लिए नोट्स या उद्धरण लेना वैध नहीं हो सकता । उपरोक्त सुरक्षा उपायों को आवश्यक रूप से तलाशी और निरीक्षण और जब्ती से संबंधित प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसे किसी भी असंवैधानिकता से बचाया जा सके।"

16. इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त अधिनियम कड़ी सजा का प्रावधान करता है। इस प्रकार, तलाशी और जब्ती के स्थान के संदर्भ में

वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के तरीके और रीति के संबंध में एक संतुलन बनाया जाना चाहिए।

17. इस न्यायालय ने, असंख्य बार, तलाशी लेने से पहले कारणों को लेखबद्ध किए जाने पर, इस आधार पर बहुत जोर दिया है कि वही सबसे पहला संस्करण होगा जो विधि के न्यायालय को और अपने अभियोजन का बचाव करते समय अभियुक्त को उपलब्ध होगा। अधिनियम के अध्याय IV में निहित प्रावधान संबंधित प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण प्रदान करने वाली धाराओ का एक समूह है, जो अन्यथा मनमाने ढंग से या अंधाधुंध प्रयुक्त की जातीं। क़ानून कहता है कि अभियोजन पक्ष को उक्त प्रावधानों का अनुपालन साबित करना होगा। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करने का हकदार होगा कि प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था। उक्त उद्देश्य के लिए, हमारी राय है कि किसी व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान और होटल के कमरे के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।

18. यह अभिलेख पर रखा जा सकता है कि थर्मल इमेजिंग नामक एक परिष्कृत संवेदना वर्धक तकनीक का उपयोग करना, जिसे किसी व्यक्ति के आवासीय घर के बाहर यह पता लगाने के लिए रखा गया कि रहवासी ने कोई स्वापक पदार्थ रखा है या नहीं, संयुक्त राज्य उच्चतम न्यायालय के डैनी ली काइलो बनाम युनाइटेड स्टेट्स, [533 यू.एस. 27, 121

एस.सी.टी.2038, 150 एल.एड.2डी 94, 01 कैल. दैनिक ऑप. सर्व. 4749, 2001 डेली जर्नल डी.ए.आर.5879, 14 फ्लोरिडा एल. वीकली फेड। एस 329, 200 आई डीजेसीएआर 2926] अदालत ने निर्णय में एकांतता के अधिकार का उल्लंघन होना अभिनिर्धारित किया गया। अदालत ने मत व्यक्त किया कि :

> "(1) घर के भीतर के बारे में किसी भी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, जो संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र में भौतिक घुसपैठ के बिना अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता था, संवेदना-वर्धक तकनीक का उपयोग, चौथा संशोधन "तलाशी " का गठन करता है, और (2) घर से निकलने वाली गर्मी मापने के लिए थर्मल इमेजिंग का उपयोग तलाशी थी।"

19. वर्तमान मामले में, वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी, उसने इसे लेखबद्ध नहीं किया था। जिस अधिकारी को ऐसी सूचना प्राप्त होती है, वह इसे लेखबद्ध करने के लिए बाध्य होता है, न कि उस व्यक्ति के लिए जो इसके बारे में सुनता है। इसके अलावा, इस मामले में फैक्स और चालान की प्रति को साबित करने के अलावा और कुछ भी साबित नहीं हुआ है। फैक्स पढ़ने योग्य नहीं था। यह कथित तौर पर PW-17 द्वारा

संचालित पीसीओ में प्राप्त हुआ था। वह फैक्स की अन्तर्वस्तु को साबित नहीं कर सका। वह यह भी दर्शित नहीं कर सके कि यह कब प्राप्त हुआ और किससे प्राप्त हुआ। यह दर्शित नहीं किया गया है कि अभियुक्त वह व्यक्ति था जिसने पीडब्लू-17 से उक्त फैक्स प्राप्त किया था। इसके अलावा, उक्त दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु साबित नहीं हुई थी। उपर्युक्त विशिष्टियों के अभाव में, फैक्स अस्पष्ट होने और इसकी अन्तर्वस्तु ज्ञात नहीं होने पर, अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में इसके ग्राह्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त फैक्स की ज़ेरॉक्स प्रति को पद के सही अर्थों में सिद्ध नहीं किया गया था। किसी अन्य द्वितीयक साक्ष्य को साबित करने के लिए किसी भी द्वितीयक साक्ष्य का सहारा नहीं लिया जा सकता था। दस्तावेज़ की अन्तर्वस्तु को साबित करना आवश्यक है। किसी दस्तावेज़ की अन्तर्वस्तु को धारा 66 के अनुसार तभी साबित माना जा सकता है जब अन्तर्वस्तु समझने योग्य हो, अन्यथा नहीं।

20.*आर.वी.एफ. वेंकटचला गौंडर बनाम अरुल्मिगु विश्वेसरास्वामी एवं वी.पी. टेम्पल,* [जेटी (2005) 11 एससी 574] में, इस न्यायालय ने कहा:

> "प्रतिवादी-प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपने तर्क, कि एक दस्तावेज़ जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, हालांकि अभिलेख पर लाया गया है, उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए, के समर्थन में, *रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मद्रास राज्य एवं*

*अन्य* का अवलम्ब लिया है। उपरोक्त मामले में प्रतिपादित विधि की प्रस्थापना से हमारा कोई विवाद नहीं है। तथापि, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें कानून की सही स्थिति को निश्चित किए जाने की आवश्यकता है। आमतौर पर साक्ष्य की ग्राह्यता पर आपत्ति तब ली जानी चाहिए जब इसे पेश किया जाए, उसके बाद नहीं। साक्ष्य में दस्तावेजों की ग्राह्यता पर आपत्तियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) यह आपत्ति कि जिस दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है वह स्वयं साक्ष्य में अग्राह्य है; और (ii) जहां आपत्ति साक्ष्य में दस्तावेज़ की ग्राह्यता को विवादित नहीं करती है, बल्कि सबूत के तरीके की ओर, इसे अनियमित या अपर्याप्त होने का अभिकथन करते हुए निर्देशित होती है। पहले मामले में, केवल इसलिए कि किसी दस्तावेज़ को 'प्रदर्श' के रूप में चिह्नित किया गया है, इसकी ग्राह्यता पर आपत्ति को अपवर्जित नहीं किया जाता है और इसे पश्चात्वर्ती चरण में या अपील या पुनरीक्षण में भी उठाया जा सकता है। बाद के मामले में, आपत्ति साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले ली जानी चाहिए और एक बार दस्तावेज़ को साक्ष्य में ग्रहण कर लिया गया है और एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है, तो आपत्ति, कि इसे

साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था या दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अपनाया गया तरीका अनियमित है, दस्तावेज़ को प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने के बाद किसी भी स्तर पर अनुज्ञात नहीं की जा सकती। बाद वाली प्रस्थापना न्यायपूर्ण व्यवहार का नियम है। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या कोई आपत्ति, यदि उचित समय पर ली जाती, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को दोष को ठीक करने और सबूत के ऐसे तरीके का सहारा लेने में सक्षम बनाती जो नियमित हो। आपत्ति करने में चूक घातक हो जाती है क्योंकि उसकी विफलता से आपत्ति करने का हकदार पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को इस धारणा पर कार्य करने की अनुमति देता है कि विपरीत पक्ष सबूत के बारे में गंभीर नहीं है। दूसरी ओर, एक त्वरित आपत्ति दो कारणों से साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है; प्रथमतः, यह न्यायालय को अपना दिमाग लगाने और ग्राह्यता के प्रश्न पर उसी समय अपना निर्णय सुनाने में सक्षम बनाती है; और द्वितीयतः, सबूत के जिस तरीके को अपनाने की मांग की गई है, उस पर साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के खिलाफ जाने वाले न्यायालय के निष्कर्ष की स्थिति में, सबूत के नियमित साधन या

> तरीके की अनुमति देने के लिए न्यायालय की कृपा मांगने और इस तरह विरोधी द्वारा उठाई गई आपत्ति को दूर करने का अवसर साक्ष्य पेश करने वाले पक्ष के लिए उपलब्ध है। ऐसी प्रथा और प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए उचित है। बाद के मामले में ऊपर उल्लिखित दो प्रकार की आपत्तियों में से, त्वरित और समय पर आपत्ति उठाने में विफलता एक दस्तावेज़, दस्तावेज़ स्वयं  जिसको साक्ष्य में ग्राह्य मानकर साबित करने की मांग की गई है, के औपचारिक प्रमाण पर जोर देने की आवश्यकता के अधित्याग के समान है। प्रथम मामले में,  सहमति से, उच्चतर न्यायालय में आपत्ति उठाने पर कोई रोक नहीं होगी।"

21.*नारायणस्वामी रविशंकर बनाम सहायक निदेशक, राजस्व खूफिया निदेशालय,* [2002] 8 SCC *7* में एक सार्वजनिक स्थान पर तलाशी और जब्ती से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने राय दी:

> "वर्तमान मामले में, अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों और गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, तलाशी और जब्ती हवाई अड्डे पर हुई जो एक सार्वजनिक स्थान है। ऐसा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे। इसके अलावा, चूंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42

> वर्तमान मामले में लागू नहीं थी, जब्ती सार्वजनिक स्थान पर की गई थी, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का प्रश्न, यदि कोई हो, पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इसके अलावा, जो महाज़ार तैयार किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब्ती पीडब्लू 1 द्वारा की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाज़ार को एस. जयंत ने रचा था। लेकिन, विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष का संस्करण कमजोर है, क्योंकि जयंत से पूछताछ नहीं की गई है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब्ती पीडब्लू 1 ने की है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के कथित गैर-अनुपालन के संबंध में, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि पीडब्लू 3 ने कथन किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् उप निदेशक को प्रकट की गई थी।"

22.*अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य,* [2000] 2 SCC 513 में, इस न्यायालय ने कहा:

> "18. जब उसी निर्णय में धारा 50 के गैर-अनुपालन के प्रभाव पर विचार किया गया तो यह अभिनिर्धारित किया

गया कि "यह अभियोजन के मामले को प्रभावित करेगा और विचारण को दूषित करेगा"। लेकिन संविधान पीठ ने *पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह* के मामले में उस पहलू से संबंधित कानूनी स्थिति तय कर दी है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा हमारे द्वारा पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। हमें नहीं लगता कि धारा 42 के गैर-अनुपालन के संबंध में भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि ऐसा है, तो स्थिति निम्नलिखित होनी चाहिए:

यदि अधिकारी के पास व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति से प्राप्त पूर्व सूचना से यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ (जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है) किसी भवन, वाहन या बंद स्थान पर रखा या छिपाया गया है, तो यह यह अनिवार्य है कि अधिकारी इसे लेखबद्ध करे और वह तुरंत इसकी एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजे। उस अधिकारी की कार्रवाई, जो इस तरह की अनभिलिखित जानकारी के आधार पर ऐसा करने का दावा करता है, संदिग्ध हो जाएगी, हालांकि केवल उस कारण से विचारण दूषित नहीं हो सकता है। फिर भी परिणामी स्थिति आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने वाली होगी।"

{*पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम बाबू चक्रवर्ती*, [जेटी 2004 (7) एससी 216] भी देखें।}

23. *हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह और अन्य*, [2004] 5 SCC 188 में, इस न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों से निपटते हुए, राय दी:

> "8.एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 में प्रावधान है कि धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन में किसी भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ आदि को जब्त कर सकता है, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। वह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी तलाशी लेने के लिए भी अधिकृत है, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है। धारा 43 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक स्थान" में कोई भी सार्वजनिक वाहन, होटल, दुकान, या अन्य स्थान

> शामिल है जो जनता के उपयोग के लिए है, या जनता के लिए सुलभ है।"

24. भारत संघ बनाम मेजर सिंह और अन्य, [2006] 9 sec 170, में, जिसका विद्वान वकील ने अवलम्ब लिया है, इस न्यायालय ने कहा:

> “अब इस संबंध में अधिनियम की धारा 42 (2) की ओर मुड़ते हुए, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले और साक्ष्य से यह स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक स्थान पर एक सार्वजनिक वाहक की  तलाशी और जब्ती की गई थी और एक सार्वजनिक वाहक से 127 थैले पोस्ततृण (अफीम) जब्त किया गया।"

उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

25. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय किसी भी विधिक कमज़ोरी से ग्रस्त नहीं है। अपील में कोई सार नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी  नवनीत, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी

अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।